(2) भैंस का दूध–4.50 रुपए से 5.14 रु० प्रति० कि०ग्रा० (7% वसा तथा 9% ठोस नाट–फैट)

(ग) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

व्यापक फसल बीमा योजना को बढ़ावा दिया जाना

228. **श्री राम नरेश यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार व्यापक फ़सल बीमा योजना के क्रियान्वयन में पाई गई कमियों के संदर्भ में ऋण संगठनों, साधारण बीमा निगम तथा "नाबार्ड" की भूमिका की समीक्षा करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त योजना को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं, उठाये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) से (ग) सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और अन्य संबंधित एजेंसियों से जानकारी एकत्र करने तथा सातवीं योजनावधि के दौरान योजना को चलाने से प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर बृहत फ़सल बीमा योजना में कार्यविधि संबंधी परिवर्तन करने की दृष्टि से 23–5–90 को नई दिल्ली में फ़सल बीमा संबंधी एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई । कार्यशाला द्वारा दिए गए सुझावों में शामिल हैं :–नियमित आधार पर राज्य सरकारों द्वारा अपनी राज्य बीमा निधि को वित्तीय योगदान, ऐसी फ़सलों, जिन्हें विभिन्न ऋण अवधियों की आवश्यकता होती है, को छोड़कर बृहत फ़सल बीमा योजना के अंतर्गत निर्धारित मौसमी विशेषताओं को जारी, रखना ऋण वितरण एजेंसियों द्वारा भारतीय केंद्रीय बीमा निगम को समय पर अपनी घोषणाओं को प्रस्तुत करना, फ़सल कटाई मशीनरी में सुधार करना, सहकारी ऋण संस्थाओं, वाणिज्यक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की मूल्यांकन यांत्रिकी को सुदृढ़ करना, ऋण वितरण एजेंसियों द्वारा समय पर सामान्य ऋण सीमा विवरण तैयार करना, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ही कृषि ऋणों का वितरण, ऋण वितरण एजेंसियों द्वारा समय पर अलग अलग किसानों के दावों की राशि जमा करना, जिला स्तरीय कार्य ढांचा आदि उपलब्ध करा कर बृहत फ़सल बीमा योजना के क्रियान्वयन में लगी एजेंसियों, के बीच उपयुक्त समन्वय स्थापित करना । इन सुझावों के आधार पर 26–11–90 को सरकार द्वारा सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को उपयुक्त मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए । इसको ध्यान में रखते हुए जहां तक बृहत फ़सल बीमा योजना का संबंध है, सरकार का ऋण संगठनों, साधारण बीमा निगम और नाबार्ड की भूमिका की समीक्षा करने का प्रस्ताव नहीं है ।

उत्तर प्रदेश में चावल के उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं प्रारंभ करना

229. **श्री राम नरेश यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रायोगिक परियोजनायें प्रारंभ करने के लिए कुछ मंडलों/ब्लाकों का चयन करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) चावल के उत्पादन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को कितनी वित्तीय सहायता दिये जाने की संभावना है ; और

(घ) इस परियोजना के प्रारंभ होने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्दभाई शाह) : (क) से (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाए गए "विशेष चावल विकास कार्यक्रम" की पूर्व तैयारी के रूप में

1984–85 के दौरान उत्तर प्रदेश के 10 चुनिन्दा विकास ब्लॉकों में चावल उत्पादन के लिए मार्गदर्शी परियोजना चलाई गई थी। 1990–91 के दौरान उत्तर प्रदेश के 37 अभिज्ञात जिलों में "एकीकृत चावल विकास कार्यक्रम" कार्यान्वित किया जा रहा है।

1990–91 के दौरान कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को 1593.96 लाख रुपए की परिव्यय राशि केंद्रीय सहायता के तौर पर प्रदान की गई है।

रेलवे प्लेटफार्मों पर जूस स्टाल आबंटित करने के संबंध में मापदण्ड

230. **डा० अबरार अहमद :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे प्लेटफ़ार्मों तथा रेलवे कैन्टीनों में जूस स्टालों के आवंटन के संबंध में अपनाए जाने वाले मापदंड क्या हैं ;

(ख) राजस्थान के उन प्लेटफ़ार्मों के नाम क्या क्या हैं जहां निकट भविष्य में इस प्रकार के स्टालों का आवंटन किया जाना है ; और

(ग) क्या मंत्री महोदय को किसी प्रकार का कोटा आवंटित किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) क्षेत्रीय रेलो द्वारा निर्धारित प्रक्रिया तथा मार्ग निर्देशों के अनुसार जहां कहीं औचित्य पाया जाता है वहां जूस स्टालों सहित खानपान/वेंडिंग के भी लाइसेंस आबंटित किए जाते हैं।

(ख) फ़िलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी नहीं।

कृषि उत्पादन की स्थिति

231. **डा. अबरार अहमद :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कृषि उत्पादन की स्थिति क्या है ; क्या इसमें कोई वृद्धि अथवा कमी हुई है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) इस वर्ष तथा पिछले वर्ष विभिन्न कृषि उत्पादों का वसूली मूल्य क्या रहा है और यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) मूल्यों में वृद्धि का कृषि उत्पादन पर क्या असर पड़ा है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्दभाई शाह) : (क) खाद्यान्नों, तिलहनों और अन्य फसलों के उत्पादन के अंतिम अनुमान कृषि वर्ष 1990-91 (जुलाई-जून) के खरीफ और रबी मौसमों के लिए अभी देय नहीं हुये हैं तथापि प्रारंभिक मूल्यांकन के अनुसार खाद्यान्नों पटसन और मेस्ता तथा गन्ने का उत्पादन अधिक होने की आशा है जबकि कपास और तिलहनों का उत्पादन 1990-91 में पिछले वर्ष की तुलना में कम होने का अनुमान लगाया गया है।

1990 के दौरान देश के अधिकांश भागों में दक्षिण-पश्चिम मानसून मौसम (जून से सितम्बर तक) में पर्याप्त वर्षा होने तथा इसके साथ-साथ मूल्य प्रोत्साहन और पर्याप्त आदानों की आपूर्ति के साथ कारगर विस्तार की वजह से खाद्यान्नों पटसन और मेस्ता तथा गन्ने के उत्पादन में वृद्धि होने की आशा है। दूसरी ओर पंजाब और हरियाणा में कृमि रोग के प्रकोप की वजह से तथा गुजरात में बुवाई के समय अपर्याप्त वर्षा होने की वजह से कपास का उत्पादन प्रभावित हुआ है। तिलहनों का उत्पादन विशेषकर मूंगफली का उत्पादन सौराष्ट्र तथा रायल सीमा क्षेत्रों में चालू दक्षिण-पश्चिमी मानसून मौसम (1990) में बुवाई के समय काफी समय तक सूखा पड़ने की वजह से प्रभावित हुआ है।

(ख) और (ग) वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 (फसल वर्ष) के लिये अधिप्राप्ति/न्यूनतम समर्थन मूल्यों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है **(नीचे देखिए)**। विभिन्न जिन्सों के मूल्यों में वृद्धि की घोषणा कर दी गई है ताकि आदानों की लागत में हुई वृद्धि को कवर किया जा सके और साथ ही कृषकों को उचित लाभ मिल सके। उससे सामान्य स्थितियों के अंतर्गत अन्य मानदण्ड समान रखकर फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन मिलने की आशा है।